न्यायालय माननीय राजस्व मंडल कैम्प उज्जैन म0प्र0

R- 3738-I/12

प्र॰क्रं॰

अभिभाषक श्री अनिल बारोड
9-10-2012
अधीक्षक
आयुक्त कार्यालय
उज्जैन संभाग

नासीरअली ....पुनरीक्षणकर्तागण

विरूद्ध

केशरसिंह ....विपक्षी,

कार्यालय उज्जैन 223 9/10/2012

माननीय महोदय,

प्रार्थी पुनरीक्षणकर्ता की ओर से निम्नानुसार आवेदन-पत्र, प्रस्तुत कर निवेदन है कि ::---

1- यह कि, प्रार्थी पुनरीक्षणकर्ता द्वारा श्रीमान् तहसीलदार महोदय तहसीलनलखेडा, जिला शाजापुर के प्रकरणक्रमांक 39-अ-12/11-12 के आदेश दिनांक 11.5.12 के विरूद्ध एक पुनरीक्षण माननीय कलेक्टर महोदय जिला शाजापुर के समक्ष दिनांक- 30.5.12 को प्रस्तुत की गई थी।

2- यह कि, उक्त पुनरीक्षण आवेदन पर माननीय अपर कलेक्टरमहोदय द्वारा प॰क्रं॰ 73/निगरानी/12-13 पर दर्ज की गई थी, उक्त पुनरीक्षण को अधिनस्थ न्यायालय अपर कलेक्टर महोदय शाजापुर द्वारा दिनांक- 9.8.12 को, पोसीडिंग आदेश के अनुसार म0प्र0राजपत्र दिनांक 30 दिसम्बर-2011 के संशोधन के अनुसार म॰प्र॰भू॰रा॰सं॰ की धारा 5 के अंतर्गत निगरानी का अधिकार माननीय राजस्व मंडल को दिये गये है इस कारण उक्त पुनरीक्षण माननीय न्यायालय के समक्ष आज प्रस्तुत की जा रही हैं।

अतः श्रीमानजी से निवेदन है कि प्रस्तुत पुनरीक्षण याचिका को स्वीकार कर, सुनवाई करने की कृपा करें।

इति।दिनांक- 9.10.12

प्रार्थी,

नासीरअली आदि ....पुनरीक्षणकर्तागण

द्वारा-अभिभाषक
अनिल बारोड

XXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - निगरानी-3738-एक/12 **जिला** - शाजापुर

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
16/1/19	आवेदक की ओर से यह निगरानी तहसीलदार के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत तहसीलदार द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अत: यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को **भेजा** जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 24.4.19 **को** कलेक्टर, जिला शाजापुर के समक्ष उपस्थित हों। **प्रशासकीय सदस्य**	